



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-09012026-269244
CG-GJ-E-09012026-269244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]
No. 21]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिसूचना

गांधीनगर, 5 जनवरी, 2026

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/001.—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 दिसंबर, 2021 को जारी और दिनांक 14 दिसंबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, अनुभाग 3, उप-अनुभाग (ii), में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एसओ. 5199(ड) के साथ पठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण एतद्वारा "तेलक्षेत्र उपकरण" के संबंध में संचालन लीज, जिसमें संचालन और वित्तीय लीज का कोई भी हाइब्रिड शामिल है, को वित्तीय उत्पाद के रूप में विनिर्दिष्ट करता है।

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए –

- अभिव्यक्ति "तेलक्षेत्र उपकरण" का तात्पर्य उन वस्तुओं से होगा, जिनका उपयोग तेलक्षेत्र के संबंध में किया जाता है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 को जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण,

भाग II, अनुभाग 3, उप-अनुभाग (i) के अधीन जी.एस.आर. 675(ड) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3/2017-केंद्रीय कर (दर) में दी गई सारणी के साथ संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट है।

- ii. अभिव्यक्ति "तेलक्षेत्र" का वही तात्पर्य होगा जो इसे तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 3 के खंड (ड) में दिया गया है; और

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./597/2025-26]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 5th January, 2026

F. No. IFSCA/GN/2026/001.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), read with notification number S.O. 5199(E), dated the December 14, 2021, issued by the Ministry of Finance, Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the December 14, 2021, the Authority hereby specifies operating lease, including any hybrid of operating and financial lease, in respect of "oilfield equipment" as a financial product.

Explanation- For the purpose of this notification –

- i. the expression "oilfield equipment" shall mean the goods, used in connection with an oilfield, as specified in the list annexed to the table provided in the Notification No. 3/2017-Central Tax (Rate), dated the June 28, 2017, issued by the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), under G.S.R. 675(E).
- ii. the expression "oilfield" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 3 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948); and

2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ety./597/2025-26]